न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण **GCMS NO 2024/382**
दायरा तिथि : 08.10.2024
आदेश तिथि : 13-05-2025
प्रार्थीगण :–

1. कमलजीतसिंह पुत्र रतनसिंह राजपूत निवासी नागौर
2. हेमेन्द्रसिंह पुत्र भोमसिंह राजपूत निवासी जोधपुर

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. देवाराम पुत्र समरथाराम जाति रेबारी निवासी बीजापुर
2. महावीरसिंह पुत्र शंभुसिंह जाति राजपूत निवासी पैरवा
3. कैलाश कुंवर पुत्री दुरजनसिंह जाति राजपूत निवासी पैरवा
4. पारस कंवर पत्नी महावीरसिंह जाति राजपूत निवासी पैरवा
5. महेन्द्रसिंह पुत्र जब्बरसिंह जाति राजपूत निवासी अणगोर सुमेरपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांकः 13-05-25

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम पैरवा पटवार हल्का पैरवा तहसील बाली के खसरा नंबर 142 रकबा 3.2100 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम पैरवा पटवार हल्का पैरवा तहसील बाली के खसरा नंबर 929/149 रकबा 1.5920 हैक्टर एवं खसरा नंबर 149 रकबा 1.6900 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/952 दिनांक 24.04.2025 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रार्थी की धारित भूमि तक आवागमन हेतु कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से उपलब्ध नहीं है। खसरा नंबर 932/929 रकबा 0.0549 हैक्टर एवं खसरा नंबर 928/149 रकबा 0.1380 हैक्टर जो गै.मु.रास्ता हेतु समर्पण हुआ है, लेकिन कटान मार्ग से 88 मीटर दूर है।
2. यह है कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता कटान मार्ग से 72 मीटर लंबा है जो अन्य कटान मार्ग से 88 मीटर लंबाई से कम है।
3. यह है कि आवेदित एवं प्रस्तावित रास्ता मौके पर पडत भूमि से अस्थाई रूप से उपयोग किया जा रहा है।
4. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	149	1.69 हैक्टर	चा.दो. जा.दो.	88X9=792वर्गमीटर	खातेदारी भूमि
2	932/929	0.0549 हैक्टर	गै.मु. रास्ता	पूर्व से सिवायचक रास्ता दर्ज है।	

5. यह कि निरीक्षक भू–अभिलेख बिसलपुर द्वारा प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 149000/– रूपये प्रति हैक्टर है।
6. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतू उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, अन्य कोई क्षति नहीं है।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

3

पेज लगातार..........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024/382
अनवान कमलजीतसिंह वगैरा बनाम देवाराम वगैरा
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण मे अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 से 04 बावजदू नोटिस तामील के वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 05 की ओर से वकील श्री विजेन्द्रसिंह देवडा ने वकालतनामा पेश किया। वकील अप्रार्थी संख्या 05 को जवाब/आपत्ति हेतु पर्याप्त समय अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब/आपत्ति पेश करने में विफल रहने पर इनका जवाब अवसर बंद किया गया। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। प्रकरण में वकुलाय की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की एकपक्षीय बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम ग्राम पैरवा पटवार हल्का पैरवा तहसील बाली के खसरा नंबर 142 रकबा 3.2100 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम पैरवा पटवार हल्का पैरवा तहसील बाली के खसरा नंबर 142 रकबा 3.2100 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम पैरवा पटवार हल्का पैरवा तहसील बाली के खसरा नंबर 149 रकबा 1.69 हैक्टर में से **792 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।
राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे।
प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 149000/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
149	1.69 हैक्टर	88X9=792 वर्गमीटर	15	11880X2=23760	1. कैलाश कुंवर पुत्री दुरजनसिंह जाति राजपूत निवासी पैरवा हि 1/3 2. देवाराम पुत्र समरथाराम जाति रेबारी निवासी बीजापुर हि. 216/4225 3. पारस कंवर पत्नी महावीरसिंह जाति राजपूत निवासी पैरवा हि 1029994/2496975 4. महेन्द्रसिंह पुत्र जब्बरसिंह जाति राजपूत निवासी अणगोर सुमेरपुर हि. 40/197

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 23760/– (अक्षरे तेईस हजार सात सौ साठ रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि अप्रार्थीगण द्वारा नहीं लिये जाने की दशा में तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(दिनेश ...)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी बाली

पेज लगातार..........03

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024/382

अनवान कमलजीतसिंह वगैरा बनाम देवाराम वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

क्रमॉक/कोर्ट/2025/514-518 दिनांक : 14-5-25

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर
3. पटवारी हल्का, पैरवा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक कमलजीतसिंह पुत्र रतनसिंह राजपूत निवासी नागौर वगैरा को सूचनार्थ।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

https://bhunaksha.rajasthan.gov.in/Viewmap/08/plotreportRJ.jsp?st...

राजस्थान सरकार NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 18/04/2025 11:10:08 AM

जिला :पाली | तहसील : बाली | भू. अ. नि. क्षेत्र :बिसलपुर

पटवारी हल्का :पैरवा | ग्राम : पैरवा

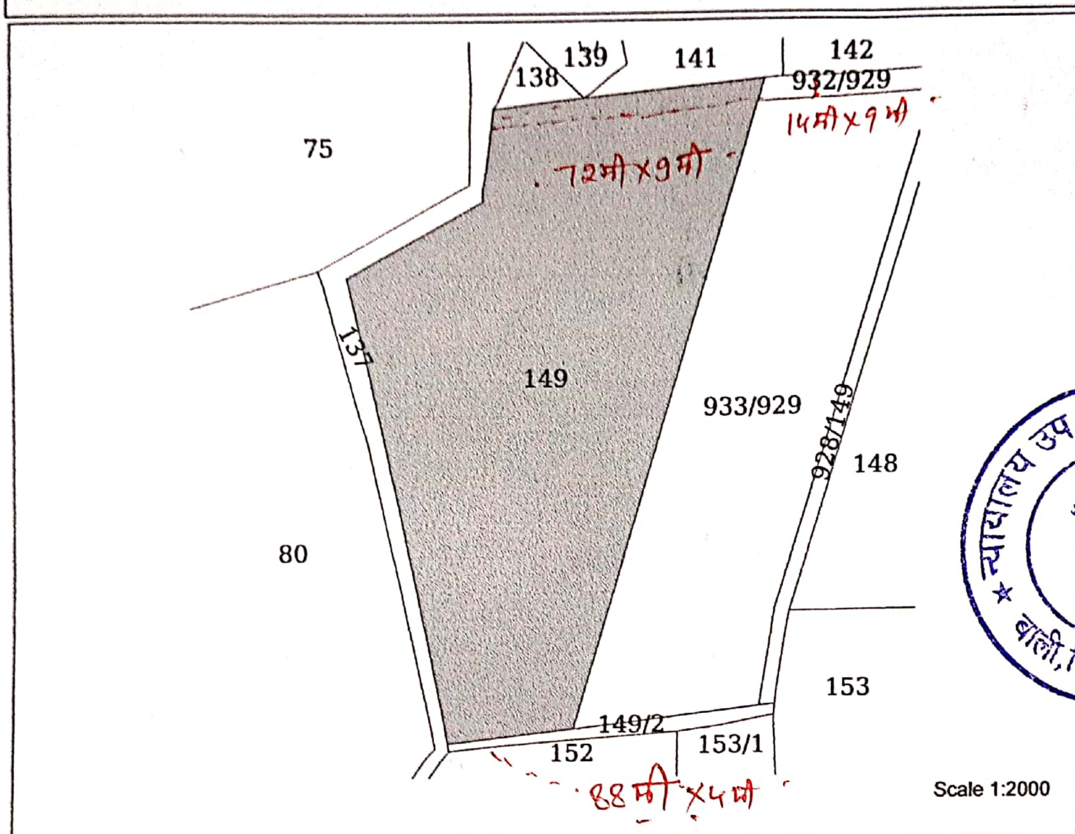

Scale 1:2000

खसरा संख्या :149 क्षेत्रफल : 1.6900 Hectare खाता संख्या : 411 पुराना खाता संख्या :120

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: चाही सोयम [0.0100, 0.20], जाव सोयम [1.6800, 11.76]

1.) कैलाशकुवंर पुत्री दुरजनसिह हिस्सा- 1/3 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार

2.) देवाराम पुत्र समरथारामजी हिस्सा- 216/4225 जाति- रैबारी (देबासी) नि. बीजापुर खातेदार

3.) पारसकंवर पत्नि महावीरसिंह हिस्सा- 1029994/2496975 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार

4.) महेंद्र सिंह पुत्र जब्बरसिंह हिस्सा- 40/197 जाति- राजपूत सा.अनगोरतहसील सुमेरपुर खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

तहसीलदार, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

Ex - Court.

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड़ अधिकारी,बाली

Scanned with CamScanner